

कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-.....1415094..... दिनांक

पत्र संख्या-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)मु0-/स0प0/S.I.B माड्यूल/ 14-15/

2248 / वाणिज्यकर
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश।

(वि0अनु0शा0-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: नवम्बर 24, 2014

समस्त

ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)वाणिज्य कर,

विभाग, उत्तर प्रदेश।

वि0अनु0शा0 इकाइयों के कार्य में गुणात्मक सुधार लाने हेतु परिपत्र संख्या- 692 दिनांक 03-07-2012 से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके क्रम में पत्र संख्या- 905 दिनांक 04-12-2013 से वि0अनु0शा0 इकाइयों द्वारा जाँच हेतु अनुमति प्राप्त करने/ अनुमति दिये जाने/ अन्तरिम जाँच अनुमान एवं प्रतिवेदन प्रेषित करने की आनलाइन व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

मूल्य संबर्द्धित कर प्रणाली लागू किये जाने के उपरान्त मुख्यालय के पत्र संख्या-चे0पो0-25क-करापवंचन - 08-09/ 117/ वाणिज्य कर दिनांक 22-04-2008 से यह निर्देश दिये गये थे कि करापवंचन को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही हेतु कार्य योजना बनाने के साथ-साथ करनिर्धारण अधिकारियों के सम्बन्ध में प्रवर्तन इकाई अथवा वि0अनु0शा0 इकाई द्वारा प्रेषित किये गये बिल / गोपनीय प्रतिवेदन पर करनिर्धारण अधिकारियों से समयबद्ध कार्यवाही (अर्थदण्ड /अस्थाई/स्थाई करनिर्धारण) का दायित्व ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) का है।

प्रवर्तन इकाइयों द्वारा पंजीकृत / अपंजीकृत व्यापारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही को आनलाइन किये जाने का मूल उद्देश्य यह है कि प्रवर्तन इकाइयों द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना / विवरण करनिर्धारण अधिकारियों को आनलाइन उपलब्ध हो सके एवं करनिर्धारण अधिकारी ऐसे व्यापारियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे करापवंचन किये जाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगे। सचलदल इकाइयों द्वारा अपंजीकृत व्यापारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही के प्रकरणों में अभिग्रहण की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अर्थदण्ड आदि की कार्यवाही सम्पादित किये जाने तथा पंजीकृत व्यापारियों के प्रकरणों में करनिर्धारण अधिकारियों को अभिग्रहण की तिथि / जमानत जमा कराये जाने की तिथि से 07 दिन के अन्दर करनिर्धारण अधिकारियों को जमा प्रमाण पत्र के साथ रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के निर्देश हैं। करनिर्धारण अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये हैं कि प्रपत्र प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर अस्थाई /स्थाई करनिर्धारण / अर्थदण्ड की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

वि0अनु0शा0 इकाइयों द्वारा किये गये कार्य की एस0आई0बी0माड्यूल के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। रिपोर्ट्स के अवलोकन से यह पाया गया कि आनलाइन व्यवस्था लागू किये जाने के दिनांक 16 दिसम्बर-2013 से अब तक 2713 फाइनल रिपोर्ट (जाँच प्रतिवेदन) डाउन लोड कर करनिर्धारण अधिकारियों के लागइन पर प्रेषित की गयी है। परन्तु करनिर्धारण अधिकारियों के स्तर पर क्लिक करने पर प्राविजनल करनिर्धारण / वार्षिक करनिर्धारण, निर्धारित अपवंचित विक्रयधन एवं कर का कोई विवरण उक्त माड्यूल पर दर्शित नहीं होता है। माड्यूल के करनिर्धारण अधिकारियों की बटन क्लिक करने पर डाटानाट अपलोडेड दर्शित होता है।

उक्त से स्पष्ट है कि करनिर्धारण अधिकारियों द्वारा वि0अनु0शा0 आनलाइन प्रतिवेदनों को संज्ञान में लेते हुए उन पर प्राथमिकता के आधार पर अस्थाई करनिर्धारण की कार्यवाही नहीं की जा रही है जबकि समय से ऐसे व्यापारियों के विरुद्ध अस्थाई करनिर्धारण की कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड/ कर आरोपित कर उसकी वसूली की जानी चाहिए।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त करनिर्धारण अधिकारियों की लागइन में प्रतिवेदन के आनलाइन अपलोड होने की तिथि से वि0अनु0शा0 प्रतिवेदनों का निस्तारण 60 दिन के अन्दर कराया जाना सुनिश्चित करायें। पर्यवेक्षक अधिकारी होने के नाते आपका यह दायित्व बनता है कि आप स्वयं साफ्ट वेयर से यह

ज्ञात करें कि आपके अधीनस्थ करनिर्धारण अधिकारियों द्वारा वि0अनु0शा0 अधिकारियों द्वारा आनलाइन अपलोड किये गये जॉच प्रतिवेदन पर समय से कार्यवाही की जा रही है अथवा नहीं। उक्त के अतिरिक्त आपका यह देखने का भी दायित्व बनता है कि कृत कार्यवाही का विवरण अधीनस्थ करनिर्धारण अधिकारियों द्वारा अपलोड किया जा रहा है अथवा नहीं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 16-12-2013 से दिनांक 31-08-2014 तक वि0अनु0शा0 इकाइयों द्वारा प्रेषित अन्तरिम / अन्तिम रिपोर्ट्स पर की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न प्रारूप में दिनांक 15-12-2014 तक उपलब्ध कराये। इसके साथ-साथ प्रत्येक व्यापारी के सम्बन्ध में करनिर्धारण अधिकारियों के स्तर से की गयी कार्यवाही का विवरण साफ्ट वेयर में भी अपडेट कराये तथा भविष्य के लिए यह सुनिश्चित कर लें कि करनिर्धारण अधिकारियों से जो भी अग्रिम कार्यवाही उनके स्तर से की जानी है समयबद्धता से सम्पादित की जाय तथा साफ्ट वेयर में उसकी फीडिंग भी की जाय, जिससे यह ज्ञात हो सके कि वि0अनु0शा0 इकाइयों द्वारा प्रेषित किये गये प्रतिवेदनों के आधार पर पंजीकृत व्यापारियों के प्रकरणों में करनिर्धारण अधिकारियों द्वारा समय से कार्यवाही की जा रही है एवं उनके द्वारा स्वीकृत विक्रयधन / कर के अतिरिक्त कितना करवंचित विक्रयधन / कर निर्धारित किया गया है। महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा भी इस प्रकार की सूचना की अपेक्षा की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में निर्देशानुसार समयबद्ध कार्यवाही तत्काल किया/ कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे अपेक्षानुसार आनलाइन माड्यूल के माध्यम से सार्थक एवं परिणामपरक कार्यवाही का उद्देश्य सफल हो सके। कृपया निर्देशों का अनुपालन कठोरता से सुनिश्चित करने / कराने का कष्ट करें।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोपरि।

(बी0राम शास्त्री)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 व दि0उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित कों इस आशय के साथ प्रेषित कि निर्देशों से अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए निर्देशों का अनुपालन कठोरता एवं समयबद्धता से सुनिश्चित कराये:-

- 1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 2--समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्पो0सर्किल) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया वह भी निर्धारित प्रारूप में समय से सूचना उपलब्ध कराये तथा किये गये करनिर्धारण प्रकरणों की फीडिंग भी माड्यूल में कराना सुनिश्चित करें। (संलग्नक- प्रारूप सहित)
- 4- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

